पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांकः 326 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ दिनांकः 18 .03.2020

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता,
पिटकुल,
.... ।

जैसा कि आपको विदित है कि विश्व के अधिकांश देशों के साथ–साथ हमारे देश में भी कोरोना वायरस के कारण लोग लगातार संक्रमित हो रहे हैं, जिससे बचाव हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर एडवाईजरी जारी की जा रही है।

उक्त के क्रम में यह भी निर्देशित किया जाता है कि कारपोरेशन मुख्यालय एवं अन्य कार्यालय में कारपोरेशन कार्यो हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलने आने वाले आगन्तुकों का प्रवेश निषिद्ध किया जाता है, तथापि कारपोरेशन कार्यावश्यकता/कार्यहित में अत्यन्त आवश्यक आगन्तुकों को ही विशेष परिस्थितियों में कारपोरेशन कार्यालयों में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाये, जिससे कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव किया जा सके।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप अपने स्तर से कारपोरेशन कार्यालयों के मेनगेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि बिना आपकी सहमति प्राप्त किये किसी भी आगन्तुक को कार्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति न प्रदान की जाये।

18/3/2020

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0)

पत्रांकः /मा0सं0एवंप्र0वि0/ पिटकुल/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून।
2. निदेशक (वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को पिटकुल की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड एवं मेनगेट पर आगन्तुकों के सूचनार्थ चस्पा करने हेतु।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0)